फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती पानीदेवी बनाम महादेव (वगैरा)

मिसल मुकदमा प्रा.पत्र 111-120 नं0 96 सन 2021

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
..7.21	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 27.8.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
27/8/21	उभय पक्ष ... पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 28.9.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
1.11.21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 केम्प ग्राम बावड़ी मे पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए एवं पटवार हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा.प. किया गया। प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर दाखिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:06:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 96/21 प्रा.पत्र

प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021

1- श्रीमती पानी देवी प/o श्री रामपाल [illegible] निवासी- [illegible] --प्रार्थी

बनाम

श्री महावीर s/o श्री रतना जाट निवासी- उम्मेदपुरा तहसील माण्डल [illegible] --विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 1.11.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर न किया कि ग्राम......उम्मेदपुरा......पटवार हल्का......सालरी......तहसील मांडल/में उसके /संयुक्त खातों की आराजी नं......3/1......कुल किता ......01...... ......0.2529......हेक्टेयर......—......स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी यिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते क्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक......13.7.21......को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का रुरी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......उम्मेदपुरा...... हल्का......सालरी......तहसील मांडल में स्थित आराजी नं......3/1...... ......कुल किता ......01......रकबा......0.2529......हेक्टेयर......—...... चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक......[illegible]......को ......500/-......./- मिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गढ़ी नहीं की जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:26:20 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021

:- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की नना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021